

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए(1)2/2019- विभाजन/पुर्नगठन-60260-272 | 19 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2019- विभाजन/पुर्नगठन: 55573-582 दिनांक 28 अगस्त, 2020 के अन्तर्गत, जिला मण्डी में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त मण्डी को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त जिला मण्डी की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुर्नगठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 2 के खण्ड (46) तथा धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची-1 में वर्णित राजस्व गांव के उन भागों को जो कोष्ठ सं० 6 में अंकित है, के लिए कोष्ठ संख्या 5 में अंकित नाम से ग्राम घोषित करने तथा अनुसूची-11 में दिए गए विवरण अनुसार सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2-क) तथा धारा (3-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची-1

क0स0	ग्राम पंचायत का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम जिनके विभाजन से नए ग्राम की घोषणा की जानी है।	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम के कुल खसरा न0	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम के विभाजन पर इस घोषणा आदेश द्वारा रखे गए नए नाम	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित नवघोषित ग्रामों में सम्मिलित होने वाले खसरा न0
1	2	3	4	5	6
1 विकास खण्ड सराज					
1	1 खोलानाल	शैहनू	कुल खसरा न0 (1 से 594)	1 सलौण 2 गौणी	ख0 न0 6 से 8, 12 से 15, 17 से 41, 44, 46 से 48, 58 से 67, 69 से 72, 75 से 78, 81 से 85, 87, 88, 90 से 96, 98 से 116, 118, 120, 122 से 139, 141 से 147, 149 से 155, 158, 159, 162 से 164, 166 से 173, 175 से 177, 179, 181, 182, 185, 188 से 191, 193 से 197, 199 से 205, 208 से 214, 218, 220 से 222, 231, 232, 256, 259 से 266, 268, 271, 279, 281, 316, 394

2	विकास खण्ड मण्डी सदर				
	1 कोट	ध्वानसरी	कुल खसरा न० (1 से 925)	1 ध्वान	खसरा न० 1 से 440, 870 से 873, 892 से 900, 914 से 919, 923 से 925 तक
				2 सरी	खसरा न० 441 से 869, 874 से 891, 901 से 913, 920 से 922 तक

अनुसूची-II

क्रसं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3- में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	विकास खण्ड बल्ह					
	1 बैहल	1 मोहरी	नटनेड	1 नटनेड	1 मोहरी	
		2 बैहल		2 हवाणी का उप गांव बागचौक घेरा के खसरा न० 187 से 410 तथा 632 से 695 उप गांव हवाणी के खसरा न० 411 से 631 लदेहरा के खसरा के खसरा न० 696 से 761	2 बैहल	
		3 धडवाहन		3 लुहारडी	3 धडवाहन	
		4 सैहल			4 सैहल	

		5 पैडी			5 पैडी	
		6 परस्ता			6 परस्ता	
		7 नटनेड			7 गैहरा	
		8 हवाणी का उप गांव बागचौक घेरा के खसरा न0 187 से 410 तथा 632 से 695 उप गांव हवाणी के खसरा न0 411 से 631 लदेहरा के खसरा के खसरा न0 696 से 761				
		9 लुहारडी				
		10 गैहरा				

2 विकास खण्ड सराज

	1खोलानाल	1 खोलानाल	खाहरी	1 खाहरी	1 खोलानाल		
		2 डी पी एफ खोलानाल		2 डी पी एफ शलोई	2 डी पी एफ खोलानाल		
		3 खाहरी		शेहनू के ख0 न0 1 से 5, 9 से 11, 16, 18, 42, 43, 45, 49 से 57, 68, 73, 74, 79, 80, 86, 89, 97, 117, 119, 121, 140, 148, 156, 157, 160, 161, 165, 174, 178, 180, 183, 184, 186, 187, 192, 198, 206, 207, 215, से 217, 219, 223 से 230, 233 से 255, 257, 258, 267, 269, 270, 272 से 278, 280, 282 से 291, 293 से 315, 317 से 393, 395 से 594		गांव भौहनू के उप गांव सलैण व गौणी के ख0 न0 6 से 8, 12 से 15, 17 से 41, 44, 46 से 48, 58 से 67, 69 से 72, 75 से 78, 81 से 85, 87, 88, 90 से 96, 98 से 116, 118, 120, 122 से 139, 141 से 147, 149 से 155, 158, 159, 162 से 164, 166 से 173, 175 से 177, 179, 181, 182, 185, 188 से 191, 193 से	
		4 डी पी एफ शलोई					
		5 शेहनू (कुल खसरां न0 1 से 594)					

					197, 199 से 205, 208 से 214, 218, 220 से 222, 231, 232, 256, 259 से 266, 268, 271, 279, 281, 316, 394	
3	विकास खण्ड धर्मपुर					
	1 सिद्धपुर	1 सिद्धपुर	ततोहली परडाणा	1 ततोहली परडाणा	1 सिद्धपुर	
		2 ततोहली परडाणा		2 महलुआ	2 सकोह	
		3 महलुआ		3 मल्हौड	3 चलैला	
		4 मल्हौड			4 खडून	
		5 सकोह			5 त्योग	
		6 चलैला			6 ब्नोग	
		7 खडून				
		8 त्योग				
		9 ब्नोग				
	2 तनेहड	1 हरयानाल		4 नरैणगढ	1 हरयानाल	
		2 धार			2 धार	
		3 सकैण			3 सकैण	
		4 तनेहड			4 तनेहड	
		5 नरैणगढ				
4	विकास खण्ड सदर मण्डी					
	1 कोट	1 अलग	दुबल	1 अलग	1 बडोहा	
		2 मन्ढोखर		2 मन्ढोखर	3 रोपामटयाल	
		3 बडोहा		3 दुबल	4 कून	
		4 रोपामटयाल		4 ध्वानसरी का उप	5 कोट	

	5 ध्वानसरी (कुल खसरा न0 1 से 925)		गांव ध्वान ख0न0 1 से 440, 870, 871, 872, 873, 892 से 900, 914 से 919, 923 से 925 तक	6 ध्वानसरी का उप गांव सरी ख0न0 441 से 869, 874 से 891, 901 से 913, 920 से 922	
	6 दुबल				
	7 कून				
	8 कोट				


आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

दिनांक 19 सितम्बर, 2020

पृ0 संख्या: उपरोक्त 60260-272

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश -1
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला मण्डी हि0प्र0.
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/ सचिव ग्राम पंचायत जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।


अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.